

राजस्थान बिनाई के एवं वादपत्र में उल्लिखित भूमि का मिलान नहीं होने के कारण वादपत्र में चला गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। वादपत्र एवं संलग्न दस्तावेज अमावसी 16 APP (B) का क्र. 267 / 335 सम्मत 2071-2074 में मिलान नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वादी द्वारा अनुतोष एवं उल्लिखित भूमि का वादी एवं प्रतिवादी से सम्बद्ध नहीं होने तथा वादपत्र के साथ संलग्न राजस्थान बिनाई से मिलान नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय मात्र में आप सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखाया गया।

पगावली फैसल कुमार डोकर दफतर
दाखिल हो।

(मनमोहन मीना)

उपवर्ज अधिकारी

उपवर्ज अधिकारी

अ. 2 प. 36